


एक साथ तीन बार तलाक असंवैधानिक

एक साथ तीन बार तलाक असंवैधानिक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम् फैसले में एक ही साथ तीन बार तलाक कहने की मुस्लिम प्रथा को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत एक 53 साल के पुरुष और उसकी 23 साल की पत्नी की यचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने तलाक के मुद्दे पर पुलिस करवाई से सुरक्षा की मांग की थी। पुरुष अपनी पहली पत्नी को एक साथ तीन बार तलाक बोलकर अलग हो गया था।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

- एक साथ तीन बार 'तलाक' कह कर विवाह बंधन से तुरंत अलग होना 'क्रूर' है।
- यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है।
- यह पैगंबर या पवित्र कुरान की सीख के विपरीत है।
- किसी भी समुदाय के निजी कानून संविधान से ऊपर नहीं है।



KBK Infographics